भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 247

(जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 / 20 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

प्लास्टिक के करेंसी नोट

247. श्री नीरज शेखरः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक का प्लास्टिक के करेंसी नोट शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त करेंसी नोट शुरू करने की समय-सीमा क्या है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

<u>उत्तर</u>

वित्त मंत्री

(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>प्लास्टिक के करेंसी नोट के संबंध में दिनांक 11.08.2026 को उत्तर हेतु पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 247 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।</u>

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश के साथ, क्षेत्रीय परीक्षणों के लिए ₹10 और ₹20 के एक बिलियन नोटों के पॉलीमर बैंकनोटों की शुरुआत के लिए और क्षेत्रीय परीक्षणों के सफल समापन के बाद इन दो मूल्यवर्गों में पॉलीमर बैंकनोटों के नियमित निर्गमन के लिए सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 25 के अनुसार, एक प्रस्ताव भेजा था। सरकार द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। आरबीआई के अनुसार, इन पॉलीमर बैंकनोटों को कागज सब्सट्रेट-आधारित बैंकनोटों के साथ निर्गमित करने का प्रस्ताव है।

(ग): आरबीआई ने सूचित किया है कि विपणन प्रक्रिया वर्तमान में प्रारंभिक चरण में है। इसलिए, इस समय, व्यावहारिक रूप से पॉलीमर बैंकनोटों की शुरुआत के लिए सटीक समय-सीमा या उस पर होने वाले संभावित व्यय का निर्धारण करना संभव नहीं होगा।
